

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ,मुख्यालय, जयपुर ।


क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा (162)/2020/986

दिनांक :- 19-11-20

कार्यालय-आदेश

जयपुर-दिल्ली-जयपुर मार्ग पर संचालित वोल्वों/सुपर लम्जरी बसों के आदेश क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा/(162)/2017/678 दिनांक 23.3.2017 अनुसार यात्री किराया राशि रु. 900/- (सभी अधिभार /शुल्क एवं कर सहित) लिया जा रहा है । मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार द्वारा की गई मांग एवं यात्री भार में वृद्धि हेतु जयपुर-दिल्ली -जयपुर मार्ग पर संचालित वोल्वों/सुपर लम्जरी बसों का किराया रु. 700/- (सभी अधिभार /शुल्क एवं कर सहित) प्रति यात्री निर्धारित किया जाता है ।

उक्त आदेश दिनांक 23.11.2020 से 31.12.2020 तक के लिये प्रायोगिक तौर पर लागू किये जाते हैं ।



(राजेश्वर सिंह)


अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा(162)/2020/986

दिनांक :- 19-11-2020

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष () राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर ।
3. समस्त महा प्रबन्धक, /संयुक्त महा प्रबन्धक() राजस्थान परिवहन निगम, मु0जयपुर
4. निगम सचिव रा0परि0निगम मु0 जयपुर ।
5. उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी/बजट/ टिकिट/अंकेक्षण) राज0 परि0 नि0 मु0 जयपुर
6. उप महा प्रबन्धक(आई.टी) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना एवम् तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे ।
7. जोनल मैनेजर, राजस्थान परिवहन निगम जयपुर जोन को प्रेषित कर जयपुर-देहली -जयपुर मार्ग पर संचालित सेवाओं का समानीकरण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
8. जोनल मैनेजर राजस्थान परिवहन निगम.....
9. कार्यकारी प्रबन्धक, (जनसम्पर्क)/संचालन/() रा.प.नि.मुख्यालय जयपुर ।
10. सहा0.लेखाधिकारी, (टिकिट/अंकेक्षण) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर ।
11. मुख्य प्रबन्धक, राज0 परि0 निगम डीलक्स आगार को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त संशोधित की प्रतिदिन समीक्षा करे एवं प्रगति /स्थिति से जोनल मैनेजर, जयपुर जोन को अवगत करावे । 15 दिवस के पश्चात आगामी दिवसों हेतु प्रस्ताव भी प्रस्तुत करें ।
12. आदेश पत्रावली ।



कार्यकारी निदेशक (यातायात)